

कुमाऊं बन तथ्य निरूपण समिति

का

प्रातिवेदन



मुद्रकः

प्रधीकार, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत।

१९६०

सं० २०६३ उ० म० ( शिं० का )

सेवा मे,

सचिव, वन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय : कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति का प्रतिवेदन

दिनांक, लखनऊ, १० दिसम्बर, १९५६ ।

महोवथ,

मुझे आपको कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति के प्रतिवेदन की दो प्रतियाँ भेजते हुये यह सूचित करने का आदेश है कि समिति ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है ।

२—प्रतिवेदन की दो अन्य प्रतियाँ आपको शोध ही भेज दी जायंगी ।

भवदीय,  
पी० सी० चटर्जी,  
सचिव ।

## विषय-सूची

### भाग १

अध्याय १	प्रस्तावना	पृष्ठ
अध्याय २	कार्यालय	१-२
अध्याय ३	भौगोलिक वर्णन	३-५
अध्याय ४	नदियाँ जल वितरण तथा बन साधन	६-७
अध्याय ५	वनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि .....	८-१४
		१५-२२

### भाग २

अध्याय ६	कुमार्य में बन विभाग की विकास कार्यवाहियों की तुलना में स्थानाय लीगों की श्रावश्यकता के विषय में बन नीति .....	पृष्ठ
अध्याय ७	कुमार्य के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के बन सर्वधोरों अधिकारों तथा सुविधाओं से संबंधित परिवेदनाओं की जांच .....	२३-३२
अध्याय ८	पर्वतीय शहरों में इमारतों लकड़ी, जलाने की लकड़ी तथा कोयले की सप्लाई और उनके मूल्यों को वृद्धि का प्रश्न .....	३३-३७
अध्याय ९	वनों में चराई को सुविधा का सामान्य प्रश्न .....	३८-४४
अध्याय १०	वनों में गिरी हुई जलाने की लकड़ी को एकत्र करने, तथा हटाने का प्रश्न .....	४५-४७
अध्याय ११	भूमिहोनों को बसाने के लिये वनों को साफ करने का प्रश्न .....	४८-४९
अध्याय १२	टिहरो में सार्वजनिक उपभोग के लिये इमारतों लकड़ी आदि देना .....	५०-५२
अध्याय १३	कुमार्य के वनों में जनता के अधिकारों से संबंधित अन्य कोई प्रश्न .....	५३
अध्याय १४	उपसंहार .....	५४-५६
		६०

### भाग ३

परिशिष्ट १	कुमार्य वन तथ्य शोधक समिति की प्रश्नावली .....	पृष्ठ
परिशिष्ट २	उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों की संख्या आदि .....	६१-६६
परिशिष्ट ३	कुमार्य वन तथ्य निरूपण समिति की बैठकें .....	७०
परिशिष्ट ४	कुमार्य सिविल वनों से इमारतों लकड़ी, इंधन आदि का उत्पादन	७१-७२
परिशिष्ट ५	शासकीय आदेश संख्या १४५, दिनांक २२ मार्च, १६४१ .....	७३-७४
परिशिष्ट ६	शासकीय आदेश संख्या ६०५, दिनांक २२ सितम्बर, १६४१ .....	७५-८०
परिशिष्ट ७	राष्ट्रीय वन नीति .....	८१-८०
परिशिष्ट ८	कुमार्य वन पंचायत नियम .....	८१-१००
परिशिष्ट ९	हक हकूक की लकड़ी देने के लिये प्रस्तावित रजिस्टर के फार्म का नमूना .....	१०१-१०५
		१०६

II

परिशिष्ट १०	शासकीय आदेश संख्या ६६०, दिनांक १ नवम्बर, १६३२	..	१०७
परिशिष्ट ११	शासकीय आदेश संख्या ६११, दिनांक १२ जून, १६२२	..	१०८-१०९
परिशिष्ट १२	सिविल डिवीजनों के वनों का विवरण ..	..	११०
परिशिष्ट १३	कुमायूं सिविल डिवीजन में स्थित वनों की आय और व्यय का व्योरा १११-११२	..	१११
परिशिष्ट १४	कुमायूं सिविल डिवीजन के जिलों में भूमि तथा वनों की स्थिति ..	..	११३
परिशिष्ट १५	हक हकूकों में दो गई लकड़ी का विवरण ..	..	१६४-११५
परिशिष्ट १६	सार्वजनिक उपयोगिता के प्रमाण पत्र पर दो गई लकड़ी का विवरण ..	..	११६-११७
परिशिष्ट १७	समिति के सम्मुख साक्षी देने वालों का विवरण ..	..	११८
परिशिष्ट १८	शासकीय आदेश संख्या ४०७, दिनांक १४ जून, १६५१	..	११६-१२०
परिशिष्ट १९	तराई भावर के निवासियों को निःशुल्क लकड़ि देने के नियम ..	..	१२१-१२७
परिशिष्ट २०	सुरक्षित वनों के संबंध में ग्रामोंगों को सुविधायें तथा उनका उत्तरदायित्व (टिहरी में) ..	..	१२८-१३१
परिशिष्ट २१	नैनीताल : जनता द्वारा दो गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	..	१३२-१३३
परिशिष्ट २२	टिहरी गढ़वाल : जनता द्वारा दो गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	..	१३४-१३५
परिशिष्ट २३	गढ़वाल : जनता द्वारा दो गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	..	१३६-१३७
परिशिष्ट २४	अल्मोड़ा : जनता द्वारा दो गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	..	१३८-१३९
परिशिष्ट २५	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : गढ़वाल ..	..	१४०-१४१
परिशिष्ट २६	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : नैनीताल ..	..	१४२-१४५
परिशिष्ट २७	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : अल्मोड़ा ..	..	१४६-१४७
परिशिष्ट २८	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : टेहरी ..	..	१४८-१५१
परिशिष्ट २९	कुमायूं सिविल डिवीजन के जिलेवार जन संख्या ..	..	१५२